न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(गौरव अग्रवाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 50/2020

प्रविष्टि दिनांक 31–8–2020

1–कृष्णा पुत्री रामनारायण जाट निवासी ग्राम इस्लामपुरा सोरन टोंक हाल निवासी पत्नि सीताराम ग्राम बालापुरा पोस्ट अरनियारा केदार तहसील व जिला–टोंक

2–सुशीला पुत्री रामनारायण जाट निवासी ग्राम इस्लामपुरा सोरन टोंक हाल निवासी पत्नि धर्मेन्द्र ग्राम बोरड़ी पंचायत हरचन्देड़ा तहसील व जिला–टोंक

–अपीलान्ट्स

बनाम

1–लादी पत्नि रामनारायण जाट निवासी ग्राम इस्लामपुरा सोरन तहसील व जिला–टोंक

2–रामेश्वर प्रसाद दत्तक पुत्र रामनारायण जाट निवासी ग्राम इस्लामपुरा सोरन तहसील व जिला–टोंक

3–ममता पुत्री रामनारायण जाट पत्नि मुकेश जाट निवासी ग्राम इस्लामपुरा सोरन तहसील व जिला–टोंक

4–तहसीलदार टोंक जिला–टोंक

–रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 विरूद्ध नामान्तरकरण सं0 238 दिनांक 7–10–2004 वाके ग्राम इस्लामपुरा तहसील व जिला –टोंक

उपस्थिति –(1) श्री सेतराम चोधरी अभिभाषक अपीलान्टस

निर्णय

दिनांक 21–1–2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट सं0 4 ने अपीलाधीन नामान्तरकरण सं0 238 दिनांक 7–10–2004 से भूमि आराजी खसरा नम्बर 111/742,114,120,141,168,206,285,484,500,531,635,259 वाके इस्लामपुरा टोंक में मृतक खातेदार श्योनारायण पुत्र श्योरामा जाति जाट की विरासत का नामान्तरकरण अपने आदेश दिनांक 7–10–2004 से उसके वारिसान के नाम स्वीकार किया, जिसमें अपीलान्ट्स का नाम उनके वास्तविक नाम की जगह अपीलान्ट सं0 1 का नाम परसन व अपीलान्ट 2 का नाम रामघणी कर दिया। अतः अपीलान्ट सं0 1 का अंकित गलत नाम परसन की जगह कृष्णा तथा अपीलान्ट 2 का अंकित गलत नाम रामघणी की जगह सुशीला दर्ज करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट्स जरिए नोटिस की गई। विवादित नामान्तरकरण की मूल प्रति मंगवाई तथा प्रकरण में अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि नामान्तरकरण भरने से पूर्व हल्का पटवारी गिरदावर ने अपीलान्ट्स के नाम की सही तरह से जॉच नहीं की तथा बिना जॉच किये ही नामान्तरकरण गलत नाम से भर दिया। अपीलान्ट्स का सही नाम कृष्णा व सुशीला है परन्तु वास्तविकता से विपरीत जाकर उन्होंने अपीलाधीन नामान्तरकरण में अपीलान्ट्स का नाम परसन व रामधणी अंकित कर दिया जबकि अपीलान्ट्स के पहचान के सभी दस्तावेज उनके वास्तविक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:10:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

से ही बने हुए हैं। उक्त गल्ती की जानकारी अपीलान्ट्स को 12–8–2020 को हुई जब अपीलान्टस ने किसान सम्मान निधि योजना का फार्म भरने के लिए अपने खाते की नकलें निकलवाई जिसमें उनका वास्तविक नाम गलत अंकित पाया गया। दिनांक 17–8–2020 को अपीलाधीन नामान्तरकरण की नकल लेने हेतु आवेदन किया, जो दिनांक 21–8–2020 को प्राप्त हुई। अपील पेश कराने में जो देरी हुई है उसके लिया दफा–5 का प्रार्थना पत्र संलग्न कर निवेदन है कि न्यायहित में देरी को माफ किया जाना आवश्यक एंव न्यायसंगत हैं। अतः अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण सं0 238 दिनांक 7–10–2004 की अपीलान्ट्स के नाम की हद तक निरस्त किया जावे तथा तहसीलदार टोंक को आदेशित किया जावे कि वह भूमि आराजी खसरा नम्बर 111/742,114,120,141,168,206,285,484,500,531,635,259 वाके इस्लामपुरा टोंक में अपीलान्ट सं0 1 का गलत नाम परसन की जगह कृष्णा व अपीलान्ट 2 का गलत नाम नाम रामघणी की जगह सुशीला दर्ज कर अपीलान्ट्स के साथ न्याय करें।

रेस्पोडेण्ट्स 1 ता 3 ने स्वंय ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र राजीनामा पेश कर अपीलान्ट्स के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का समर्थन किया एंव प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि उनवानी अपील में अपीलान्ट्स व रेस्पोडेण्ट्स सं0 1 ता 3 के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है तथा राजीनामे के अनुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण में अपीलान्ट सं0 1 का नाम परसन व अपीलान्ट सं0 2 का नाम रामधणी गलत रूप से दर्ज है, जबकि उनका वास्तविक नाम कमशः कृष्णा व सुशीला है। अपीलाधीन नामान्तरकरण में दर्ज आराजी में गलत नाम को उक्त अनुसार शुद्ध किये जाने में पक्षकारों को कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त अपील का इस राजीनामें के अनुसार निस्तारण कर दिया जावे।

अभिभाषक अपीलान्ट्स की बहस को सुना एंव रेस्पोडेण्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजीनामा व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार टोंक द्वारा नामा0 सं0 238 दिनांक 7–10–2004 श्योनाराण पुत्र श्योरामा जाट की मृत्यु के उपरान्त उनके वारिसान के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। अभिभाषक अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्ट सं0 1 का गलत नाम परसन की जगह कृष्णा व अपीलान्ट 2 का गलत नाम नाम रामघणी की जगह सुशीला दर्ज किया जाना न्यासंगत है। रेस्पोडेण्ट्स 1 ता 3 ने स्वंय ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र राजीनामा पेश कर अपीलान्ट्स के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का समर्थन किया है। अतः तहसीलदार टोंक द्वारा नामान्तरकरण सं0 238 दिनांक 7–10–2004 स्वीकृत किया गया है जिसे अपीलान्ट के नाम की हद तक अंशिक निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार टोंक द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण सं0 238 दिनांक 7–10–2004 अपीलान्ट्स के नाम की हद तक निरस्त जाता है। तहसीलदार टोंक को निर्णय की प्रति इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलान्ट्स को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर तथा उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात/ वारिसान की जॉच कर विधिवत पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 21–1–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:10:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner